



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2019/श्रावण 31, 1941

No. 479]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2019/SHRAVANA 31, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 590(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 की अनुसूची में, स्तंभ (6) में हवलदार के पद से संबंधित क्रम सं. (6) के सामने "35 वर्ष तक" शब्दों और अंकों के स्थान पर शब्द और अंक "40 वर्ष तक" रखे जाएंगे।

[फा.स. क-12018/12/2013-प्रशा.III.ख]

मोहम्मद आशिफ, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम संख्या सा.का.नि. 979(अ) तारीख 16 दिसंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संख्या सा.का.नि. 274(अ) तारीख 22 मार्च, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd August, 2019

G.S.R. 590(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Bureau of Narcotics (Group ‘C’ posts) Recruitment Rules, 2015, namely: -

1. (1) These rules shall be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Bureau of Narcotics (Group ‘C’ posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Bureau of Narcotics (Group ‘C’ posts) Recruitment Rules, 2015, in the schedule, against serial number 6 relating to the post of Havaladar, in column (6), for the words and figures “up to 35 years”, the words and figures “up to 40 years” shall be substituted.

[F.No. A-12018/12/2013-Ad.III.B]

MOHAMMAD ASHIF, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 979 (E), dated the 16th December, 2015 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 274 (E), dated the 22nd March, 2017.